

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल कैम्प जबलपुर न० प्र० ।

(6)

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2014

R-4309-I/14

अजित यादव आत्मज स्व० पूरुचन्द्र

यादव निवासी 8 उत्तर मिलौनीगंज

तहसील वा जिला जबलपुर न० प्र० ।

---आवेदक / प्रत्या

विरुद्ध

श्रीमती लता यादव पत्नी श्री राजेन्द्र

प्रसाद यादव निवासी जी- 4 दीनदयाल

चौक तहसील वा जिला जबलपुर न० प्र० ।

----अनावेदिका / अपी

g  
-inpathi  
Aur

1959

R 4309 / I 114 29/05/15

22.4.15

उपस्थित प्र. क्र. 282-1/15 में पारित कंडेरा डिपेंड 22/4/15 के कंडेरा 28 प्रमाण पुस्तिकाएं किया जाना है।

आवेदन कंडेरा की जी.पी. त्रिपठी उप: उद्दे 3) ध्यान पर मुद्रा बाधा आवेदन कंडेरा के नका पर किया कि प्र प्रमाण का उपकरण किया। SDO के कालेय कंडेरा को देवने से (पर एन) कि उद्दे के उनके हक में कमी के विरुद्ध नक प्रमाण दिया जा कि है कि की धार 52 के प्रमाण

*Handwritten signature and text:*  
S.P. Pathi  
Adl

आदि के ह

कंडेरा को ही कंडेरा कंडेरा की प्र मित्र किया जाना है। उद्दे कंडेरा डिपेंड कि के उनके हक में कमी का विरुद्ध मुद्रा पर को।

*Handwritten signature and text:*  
प्रमाण (प्रमाण)